बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01 / भू0अ0नि0(9) विविध–03 / 2022 328 **पटना, दिनांक** :– 12/01/2023

आदेश

श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02262), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा, द्वारा स्वयं को बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ का महामंत्री बताते हुए दिनांक 10.01.2023 से संविदा नियोजित विशेष कर्मियों, जो विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं को विशेष सर्वेक्षण का कार्य बंद करने का आह्वान किया गया है।

उनके द्वारा निर्गत पत्र एवं उक्त आह्वान के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 288 दिनांक 10.01.2023 द्वारा उनसे अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्यो में बाधा पहूँचाने एवं अन्य कर्मियों को कार्य न करने हेतु उकसाने के आरोप में संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग 24 घंटे के अन्दर ई–मेल के माध्यम से की गयी है। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 12.01.2023 तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी बीच उनके द्वारा एक विडियो प्रसारित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अपना नाम पंकज कुमार, महामंत्री बताते हुए जो कहा जा रहा है वह हू–ब–हू यह है – **"सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के डर और खौफ बनाने के लिए जो हमपर स्पष्टीकरण किया गया है, उसी का जबाब है मेरे तरह से। मैं न डरा हूँ न हारा हूँ, मैं लड़ना जानता हूँ, जीतना जानता हूँ। हमसे जो सारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी, जो चार हजार मेरे पीछे खड़े हैं" यह कहते हुए सरकारी पत्र को जलाकर फेंका गया है।** इस तरह की स्वीकीरोक्ति / बयान से स्पष्ट है कि इस कार्यालय द्वारा इनके उपर लगाए गए आरोपों के विरूद्ध ये अपना स्पष्टीकरण नही देना चाहते हैं।

आरोपित के द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के बीच उन्हें कार्य बंद करने हेतु उकसाने के लिए संदेश प्रसारित किया गया है कि सभी कर्मी शिविर में ऑनलाईन उपस्थित रहेंगे, परन्तु विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्णतया बंद रखने के साथ–साथ किसी भी पदाधिकारी के द्वारा बुलाए जाने की स्थिति में बैठक का बहिष्कार करेंगे।

आरोपित के द्वारा निदेशालय स्तर से पूछे गए स्पष्टीकरण का उत्तर न देते हुए सरकारी पत्र को जलाने जैसा कार्य किया गया है, जो इनके द्वारा प्रसारित किए गए विडियो से प्रमाणित होता है। साथ ही साथ विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के बीच कार्य के प्रति घृणा एवं अवमान पैदा करने का प्रयास किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है। आरोपित के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो समयबद्ध है, में बाधा डालने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ अन्य कर्मियों को भी कार्य में बाधा डालने हेतु उकसाया (Provoking) गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता तो की ही गयी है साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी पत्र को जलाने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहूँचाने जैसा कार्य किया गया है, जो एक योग्य कर्मी के आचरण के विपरीत है। इस तरह के कर्मी को सेवा में बनाए रखने से अन्य कर्मियों पड़ भी इसका कुप्रभाव पर सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02262) का संविदा अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

12/1/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

C:\Users\DELL\Desktop\Order Pankaj.doc

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022...328........ पटना, दिनांक :–12/01/2023

प्रतिलिपि :– श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02262), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

12/1/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022...328........ पटना, दिनांक :–12/01/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी जाय।

12/1/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(9) विविध–03/2022...328........ पटना, दिनांक :–12/01/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/1/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप